न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/28/18	26–02–2018	06–06–2018

01. सतीश कुमान पुत्र देशराज जाट, निवासी ग्राम लखीमपुर उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग ग्राम पंचायत समादा, हाल ग्राम पंचायत बधीन तहसील मुण्डवार जिला अलवर (राज0)

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 30–06–2017 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या–1546/2012

उपस्थितः–

01. श्री श्योरामसिंह नरूका –वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार –रेस्पौडेण्ट

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 30–06–2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं0–1546/2012 निलम्बित करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बिना अपीलान्ट को सुने निलम्बित किया है। निलम्बन आदेश 90 दिन तक ही प्रभावी रहता है। परन्तु जिला रसद अधिकारी ने आज दिनांक तक अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल नही किया। अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया जबकि अवसर दिया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा निलम्बित किया हुआ है जिसे करीब एक वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। अपीलान्ट के विरूद्व जिला रसद अधिकारी के यहॉ झूठे तथ्यों पर मुकेश पुत्र सुमेर सिंह जाट द्वारा शिकायत की गई थी, जो अपीलान्ट के परिवार का ही व्यक्ति है। शिकायतकर्ता के द्वारा अपने पिता सुमेर सिंह के नाम से 03 पृथक–पृथक राशन कार्ड बनवाए हुऐं है, अपीलान्ट को शिकायतकर्ता के पिता के नाम से 03 राशन कार्ड की जानकारी होने पर अपीलान्ट ने सुमेर सिंह के बीपीएल राशन कार्ड पर उचित मूल्य सामग्री प्रदान की गई, जिसे नाराज होकर द्वेषभावना के चलते मुकेश पुत्र सुमेर सिंह द्वारा अपीलान्ट की शिकायत की गई है। जिला रसद अधिकारी अलवर के कार्यालय से नोटिस क्रमांक 13044 दिनांक 12.07.2017 का अपीलान्ट को प्राप्त हुआ था, जिसका अपीलान्ट द्वारा जबाव दिनांक 19.07.17 को प्रस्तुत कर दिया गया था।

जिला मजिस्ट्रेट
अलवर

शिकायतकर्ता अपीलान्ट से द्वेषभावना व रंजिश के चलते झूठी शिकायत की गई है। जांच के दौरान पॉस मशीन से कुल 475 किग्रा गेहूँ व 110.5 लीटर कैरोसीन का ट्रांजेक्शन कर लिया गया है किन्तु वास्तविक रूप से उपभोक्ताओं को नही दिया गया है। जिला रसद अधिकारी अलवर के यहॉ पेश जांच में जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर करावये गये थे, उन व्यक्तियों/उपभोक्ताओं एवं ग्राम सरपंच ने लिखित में प्रार्थना पत्र जिला रसद अधिकारी को पेश कर निवेदन किया गया कि वो स्वयं के द्वारा पेश शिकायत वापिस लेते है, हमारी राशन सामग्री हमें समय पर मिलती है हम राशन डीलर से संतुष्ट है, उनके विरूद्व कोई कार्यवाही नही चाहते है एवं डीलर को उचित मूल्य दुकान के सामान के वितरण हेतु आदेश जारी करने की प्रार्थना की गई। जिस तथ्य से यह स्पस्ट है कि अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई अनियमितता नही बरती है, जो अनियमितता हुई वह पोस मशीन से हुई है एवं जो ट्रांजेक्शन में गेहूँ निकला है, उतना ही गेहूँ उपभोक्ताओं को दिया गया है जिसमें अपीलान्ट की कोई बदयान्ति नही रही है। अपीलीय आदेश में जो तथ्य दर्ज किये वो गंभीर प्रवृति के नही थे, केवल प्रकरण बनाने के लिए अपीलान्ट का लाईसेंस निलम्बित करने के लिए ही लगाये गये थे, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नही है। अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित होने से परिवार का पालन पोषण नही हो रहा है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलांट को जो नोटिस दिया उसका जवाब पेश कर दिया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का फैसला विधि विरूद्व तरीके से मनमर्जी एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है और न ही किसी प्रकार का गबन किया गया है। अपीलांट द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें, एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आदेश 1976 की धारा 8 के तहत बिना सुनवाई के प्राधिकृत अधिकार पत्र निलम्बित किया जा सकता है। समस्त कार्यवाही की जानकारी अपीलान्ट को है। प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच कर सही रिपोर्ट पेश की है। उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। दौराने जांच स्थिति सही नही मिली जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है और ना ही अपीलार्थी कार्यालय में भी उपस्थित हुआ । अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 30–06–2017 के विरूद्ध दिनांक 26–02–2018 को अपील पेश की व अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 09–02–2018 होना जाहिर किया है। रैस्पोडेन्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से रही हो। अपीलान्ट के कथनों पर विश्वास कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ कर अपील

जिला मजिस्ट्रेट
अलवर

अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया है तथा अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप गंभीर प्रवृति के नहीं है। प्राधिकार पत्र को 90 दिवस के बाद भी बहाल नहीं किया, जबकि निलम्बन आदेश 90 दिन तक ही प्रभावी रहता है। जिला रसद अधिकारी अलवर के यहॉ पेश जांच में जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये थे, उन व्यक्तियों/उपभोक्ताओं एवं ग्राम सरपंच ने लिखित में प्रार्थना पत्र जिला रसद अधिकारी को पेश कर निवेदन किया गया कि वो स्वयं के द्वारा पेश शिकायत वापिस लेते है, हमारी राशन सामग्री हमें समय पर मिलती है हम राशन डीलर से संतुष्ट है, उनके विरूद्व कोई कार्यवाही नही चाहते है एवं डीलर को उचित मूल्य सामान के वितरण हेतु आदेश जारी करने की प्रार्थना की गई। अपीलान्ट द्वारा उठाये गये तर्क के सम्बन्ध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलान्ट को पत्रांक 13044 दिनांक 12.7.17 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था, अपीलान्ट द्वारा जबाव प्रस्तुत नहीं करने पर पुनः पत्रांक 1092 दिनांक 09.02.18 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया, अपीलान्ट द्वारा कारण बताओं नोटिस का जबाब 7 माह तक पेश नही किया और ना ही जांच में अपीलान्ट द्वारा जांच में कोई सहयोग नहीं दिया। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी अलवर को तहत पत्रावली पारित निर्णय की प्रति के साथ भिजवाकर निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट के विरूद्व विचाराधीन विभागीय कार्यवाही पूर्ण करते हुऐं प्रकरण को यथा सम्भव दौ माह में गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करें। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 06–06–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर, अलवर

जिला मजिस्ट्रेट
अलवर